

(b) under what analogy the special allowance is denied to them;

(c) the present expenditure per year on account of granting Andaman Special Allowance; and

(d) what will be the financial requirement per annum if all these employees are granted Andaman Special Allowance?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (CHAUDHURI CHARAN SINGH): (a) 11,344 Government employees are not getting Andaman Special Allowance.

(b) These Government servants are not entitled to Andaman Special Allowance since they are posted in their area of recruitment or at the place of their permanent residence.

(c) The present expenditure per year on grant of Andaman Special Allowance to the employees in Andaman and Nicobar Islands is Rs. 41,33,325.

(d) Financial requirement per annum if all employees are granted Andaman Special Allowance will be approximately Rs. 1,10,00,000 including present expenditure of Rs. 41,33,325 a year.

Small Scale Industrial Units at Agra

382. **SHRI SAMBHU NATH CHATURVEDI:** Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the number of small scale industrial units at Agra classified according to their products;

(b) the number of those working below capacity;

(c) the number that have closed down during the last two years;

(d) the reasons for their closure financial constraints, non-availability of material etc.; and

(e) measures taken to remedy these shortcomings?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJ LAL VERMA):

(a) (a) Engineering/Agriculture/Foundry	670
(b) Shoes	270
(c) Food	60
(d) Chemicals/Glass	16
(e) Electrical	22
(f) Rubber	17
(g) Wooden	15
(h) Misc.	283
(b)	17
(c)	310
(d) (i) Lack of demand.	
(ii) Power shortage.	
(iii) Shortage of working capital.	
(iv) Dispute among partners	
(v) Heavy excise duty on certain items.	
(e) (i) Diversification of Products.	
(ii) Marketing arrangements are made by various corporations for selective products	
(iii) Banks are persuaded to provide working capital loan.	

मोसा बंदियों को मुआवजा दिया जाना

383. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का विचार उन मीसा बंदियों को मुआवजा देने का है जिनके परिवार के सदस्यों की तब मृत्यु हो गई थी जब वे आपात स्थिति के दौरान जलों में बंद थे ; और

(ख) यदि हाँ, तो कितना मुआवजा दिया जायेगा तथा वह कब तक दिया जाने की संभावना है ?

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) (क) तथा (ख) : उन मीसा बंदियों को, जिनके परिवार के सदस्यों की मृत्यु तब हो गई थी जब वे आपात स्थिति के दौरान जेलों में बंद थे, मुभावजा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

किन्तु सरकार ने आंतरिक आपात स्थिति के दौरान मीसा के अधीन पकड़े गये उन बंदियों के आश्रितों को, जो हिरासत में अथवा हिरासत से छोड़े जाने के तीन महीने के अंदर मर गये थे, पात्र मामलों में, मासिक पेंशन देने की एक योजना को अंतिम रूप दिया है :

भागलपुर आकाशवाणी केन्द्र

384. डा० रामजी सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भागलपुर आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना के बाद जिन केन्द्रों को स्थापित किया गया है उनका अधिक विकास किया गया है लेकिन भागलपुर आकाशवाणी केन्द्र का विकास इका हुआ है ;

(ख) भागलपुर आकाशवाणी केन्द्र को एक स्वतन्त्र केन्द्र के रूप में कब तक परिवर्तित किया जायेगा ;

(ग) क्या सरकार को भागलपुर आकाशवाणी केन्द्र के मंत्रणा बोर्ड के विरुद्ध कोई जापान प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार उक्त बोर्ड का पुनर्गठन करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) : आकाशवाणी का भागलपुर केन्द्र पटना केन्द्र का सहायक केन्द्र है । भागलपुर केन्द्र के चालू होने के बाद स्थापित किसी भी सहायक केन्द्र का दर्जा बढ़ा कर उसको पूर्ण रूपेण रेडियो स्टेशन नहीं बनाया गया है ।

(ख) : इसके लिये पांचवीं योजना में कोई प्रावधान नहीं है । भावी योजनाओं में इसका समावेश संसाधनों की उपलब्धि पर निर्भर करेगा ।

(ग) : जी, नहीं । भागलपुर केन्द्र के लिये कोई मंत्रणा बोर्ड नहीं है ।

(घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में छुरेबाजी की घटनायें

385. श्री कल्याण जैन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष मई के प्रथम सप्ताह में पुरानी दिल्ली में हुई छुरेबाजी की घटनाओं का व्योरा क्या है ।

(ख) राजधानी के इस क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) अराजकता और उपद्रव पैदा करने वाले तत्वों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : (क) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार संबंधित अवधि के दौरान पुरानी दिल्ली में छुरा मारने के 10 मामले हुए । इन मामलों के बारे में सक्षिप्त तथ्यों का एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) : इस क्षेत्र में विधि तथा व्यवस्था में सुधार करने के लिये अनेक उपाय किये गये हैं । इनमें अन्य बातों के साथ शहर में पुलिस गश्त तेज करना, महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस टुकडियां तैनात करना, दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन निरोधक कार्रवाई करना, सादे कपड़ों में पुलिस तैनात करना और जनता का सहयोग प्राप्त करना शामिल हैं । शहर में गश्त लगाने में पुलिस की सहायता के लिये होम गार्डों को भी तैनात किया जा रहा है ।